Date – 22 July 2022

विचाराधीन और जल्दबाजी में गिरफ्तारी में बदलाव की जरूरत

- हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि लक्ष्यहीन और जल्दबाजी में गिरफ्तारी, विचाराधीन कैदियों की लंबी जेल की अवधि और उनके लिए जमानत प्राप्त करना लगभग असंभव बना देना इस बात का प्रमाण है कि इस प्रणाली में बदलाव की सख्त जरूरत है।
- प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह एक "गंभीर मुद्दा" है कि देश भर में 10 लाख कैदियों में से 80% विचाराधीन कैदी हैं।

- 'भारत के मुख्य न्यायाधीश' राजस्थान विधान सभा में संसदीय लोकतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने पर भाषण दे रहे थे।
- उन्होंने कहा, "विपक्ष के लिए जगह कम हो रही है", विधायी प्रदर्शन की गुणवत्ता बिगड़ रही है, और कानूनों का अपेक्षित लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा है।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने अंधाधुंध गिरफ्तारी और एक सप्ताह के भीतर दो अलग-अलग मोर्चों पर विचाराधीन कैदियों के लिए जमानत मिलने की लगभग असंभव संभावना के बारे में मुद्दा उठाया है।

प्रमुख बिंदु:

- न्यायमूर्ति सुंदरेश ने कहा है, अदालत के सामने रखे गए आंकड़े बताते हैं कि जेल में बंद कैदियों में दो तिहाई से ज्यादा विचाराधीन कैदी हैं. हो सकता है कि इस श्रेणी के अधिकांश कैदियों को गिरफ्तार करने की आवश्यकता भी न रही हो।"
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने रेखांकित किया कि एक लोकतंत्र के भीतर एक 'पुलिस राज्य' मौजूद नहीं हो सकता।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, "लोकतंत्र में कभी यह धारणा नहीं हो सकती कि यह एक पुलिस राज्य है। दोनों वैचारिक रूप से एक दूसरे के विपरीत हैं।"

न्याय प्रणाली में सुधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले:

- **जमानत के लिए अलग कानून:** अदालत ने नोट किया है कि स्वतंत्रता के बाद कई संशोधनों के बावजूद 'दंड प्रक्रिया संहिता' (सीआरपीसी) ने अपने विषयों पर पिछली औपनिवेशिक सत्ता द्वारा तैयार किए गए बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर बरकरार रखा है।
- **निर्णयों में एकरूपता और निश्चितता:** न्यायालय न्यायिक प्रणाली की नींव हैं, एक ही अपराध के आरोपी व्यक्तियों के साथ एक ही अदालत द्वारा कभी भी अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।
- **अंधाधुंध गिरफ्तारी:** अदालत ने माना कि बहुत अधिक गिरफ्तारियों की संस्कृति – विशेष रूप से गैर-संज्ञेय अपराधों के लिए – अनुचित है।
- अदालत ने जोर देकर कहा कि संज्ञेय अपराधों के लिए भी गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है और यह "आवश्यक" होना चाहिए।

- **जमानत आवेदन:** संहिता की धारा 88, 170, 204 और 209 के तहत आवेदन पर विचार करते समय 'जमानत आवेदन' पर जोर देने की जरूरत नहीं है।
- ये धाराएं मुकदमे के विभिन्न चरणों से संबंधित हैं जहां एक मजिस्ट्रेट किसी आरोपी की रिहाई पर फैसला कर सकता है।
- **राज्यों को निर्देश:** सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अंधाधुंध गिरफ्तारी से बचने के लिए आदेशों का पालन करने और स्थायी आदेशों का पालन करने का भी निर्देश दिया है।

जमानत के विषय पर भारत का कानून:

- 'जमानती' शब्द को 'दंड प्रक्रिया संहिता' (सीआरपीसी) में परिभाषित नहीं किया गया है, केवल भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों को 'जमानती' और 'गैर-जमानती' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- सीआरपीसी मजिस्ट्रेटों को अधिकार के रूप में 'जमानती अपराधों' के लिए जमानत देने का अधिकार देता है। इसमें जमानत के बिना रिहाई या बिना जमानत के बांड पेश करना शामिल है।
- 'गैर-जमानती अपराधों' के मामले में, मजिस्ट्रेट यह तय करेगा कि आरोपी जमानत पर रिहा होने के योग्य है या नहीं।
- यदि 'गैर-जमानती अपराध' संज्ञेय हैं, तो पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है।
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436 में कहा गया है कि आईपीसी के तहत 'जमानती अपराध' के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी जा सकती है।
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437 में कहा गया है कि 'गैर-जमानती अपराधों' में आरोपी को जमानत का अधिकार नहीं है।
- गैर-जमानती अपराधों के मामले में जमानत देना अदालत का विवेकाधिकार है।

स्वदीप कुमार

डिजी यात्रा परियोजना

- हाल ही में "DIGI YATRA" परियोजना पर चर्चा करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय की सलाहकार समिति की एक बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

डिजी यात्रा क्या है?

- चेहरा पहचान प्रणाली (एफआरटी) के आधार पर हवाई अड्डों पर यात्रियों की संपर्क रहित, निर्बाध यात्रा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए परियोजना की परिकल्पना की गई है।
- इस परियोजना का मूल विचार यह है कि कोई भी यात्री बिना किसी कागजी कार्रवाई या संपर्क के विभिन्न चेक प्वाइंट से गुजर सकता है। इसके लिए उनके चेहरे की विशेषताओं का उपयोग किया जाएगा, जिससे उनकी पहचान स्थापित होगी, जो सीधे उनके बोर्डिंग पास से जुड़ी होगी।
- यह एक विकेन्द्रीकृत मोबाइल वॉलेट आधारित पहचान प्रबंधन मंच प्रदान करता है जो कि किफायती भी है और डिजी यात्रा के कार्यान्वयन में गोपनीयता/डेटा सुरक्षा मुद्दों को भी संबोधित करता है।

डिजी ट्रैवल फाउंडेशन:

- इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत वर्ष 2019 में एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।
- यह फाउंडेशन डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम (DYCE) बनाने के उद्देश्य से बनाया गया था।

- डिजी यात्रा फाउंडेशन एक अखिल भारतीय इकाई और यात्री आईडी सत्यापन प्रक्रिया का संरक्षक होगा।
- यह भारत में विमानन हितधारकों के बीच आम सहमति भी विकसित करेगा।
- यह अनुपालन के लिए मानदंड और स्थानीय हवाईअड्डा प्रणालियों के लिए दिशा-निर्देशों को भी परिभाषित करेगा।

कार्यान्वयन:

- पहले चरण में, अगस्त 2022 में वाराणसी और बैंगलोर में दो हवाई अड्डों पर और अगले साल मार्च तक पुणे, विजयवाड़ा, कोलकाता, दिल्ली और हैदराबाद में पांच हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव है।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) उन हवाई अड्डों की पहचान करेगा जहां डिजी यात्रा चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी।

डिजी यात्रा का उद्देश्य:

- यात्री अनुभव को बढ़ाएं और सभी हवाई यात्रियों को एक सरल और आसान अनुभव प्रदान करें।
- "डिजिटल फ्रेमवर्क" का उपयोग करके मौजूदा बुनियादी ढांचे के माध्यम से बेहतर थ्रूपुट प्राप्त करें।
- कम लागत का संचालन।
- मौजूदा मैनुअल प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना और बेहतर दक्षता लाना।
- सुरक्षा मानकों को बढ़ाना और मौजूदा प्रणालियों के प्रदर्शन में सुधार करना।
- सरकार द्वारा जारी आधार जैसे मजबूत सत्यापन योग्य डिजिटल "आईडी" के साथ "डिजी यात्रा" प्रणाली का रोलआउट।

स्वदीप कुमार

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका की सऊदी अरब से उम्मीदें

संदर्भ क्या है ?

- रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन सऊदी अरब के दौरे पर पहुँचे, राष्ट्रपति के रूप में ये उनकी सऊदी अरब की यात्रा ऐसे समय में हुई है जब रूस यूरोपीय देशों के लिए तेल और गैस आपूर्ति में लगातार कटौती कर रहा है ।
- जो बाइडन के सत्ता में आने के बाद से सऊदी अरब और अमेरिका के संबंधों में काफ़ी तनाव की बात कही जा रही थी। बाइडन के इस दौरे को सऊदी अरब के साथ संबंधों को पटरी पर लाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा बाइडन चाहते हैं कि सऊदी अरब तेल का उत्पादन बढ़ाए और इस क्षेत्र में इजराइल की स्वीकार्यता बढ़े।

सऊदी अरब के साथ संबंध

- बाइडन जब जेद्दाह एयरपोर्ट पर पहुँचे तो उनके स्वागत में शाही परिवार से न तो किंग सलमान थे और न ही उनके बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आए। बाइडन के स्वागत में सऊदी अरब के मक्का प्रांत के गवर्नर ख़ालिद बिन फ़ैसल अल साऊद आए।
- बाइडन के सऊदी अरब आने पर बहुत ही हल्के स्वागत को दोनों देशों में तनाव की पुष्टि के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा बाइडन के दौरे की तुलना मई 2017 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से भी की जा रही है। ट्रंप के स्वागत में सऊदी अरब के किंग सलमान ख़ुद एयरपोर्ट पर पहुंचे थे।
- राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पहले विदेशी दौरे के लिए सऊदी अरब को चुना था जबकि अमेरिका में बाक़ी राष्ट्रपति पारंपरिक रूप से पहले विदेशी दौरे में पड़ोसी देश कनाडा या मेक्सिको जाते थे। ट्रंप के स्वागत में वहाँ का पारंपरिक तलवार डांस भी हुआ और इसमें सऊदी अरब के किंग सलमान भी शामिल हुए थे। ट्रंप को सऊदी अरब ने ऑर्डर ऑफ अब्दुल अज़ीज़ अल-साऊद मेडल भी दिया था।

- जब सऊदी अरब ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर क़तर के ख़िलाफ़ नाकाबंदी लगाई थी तब शुरुआत में ट्रंप ने भी समर्थन किया था, लेकिन बाद में उन्होंने क़तर के साथ तनाव ख़त्म करने के लिए भी काम किया था।ट्रंप ने सऊदी अरब में अरबों डॉलर के हथियार बेचने की अनुमति दी थी जबकि अमेरिकी सांसद इस निर्णय का विरोध कर रहे थे।
- ट्रंप ने सऊदी अरब को हथियार देने पर लगे प्रतिबंधों को भी ख़त्म किया था जबकि यमन में सऊदी अरब के हमले के कारण आम लोग मारे जा रहे थे। पत्रकार जमाल ख़ाशोज्जी की हत्या के मामले में भी ट्रंप ने क्राउन प्रिंस का बचाव किया था।
- ट्रंप का कहना था कि सऊदी अरब को हथियार बेचने से अमेरिका के लोगों को रोज़गार मिलता है और मानवाधिकारों के मुद्दे पर वह इसे ख़तरे में नहीं डाल सकते हैं।
- दूसरी तरफ़ नवंबर 2019 में जब जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से चुनाव अभियान में जुटे थे तब उन्होंने कहा था कि वह राष्ट्रपति बनने के बाद सऊदी अरब को हथियार नहीं बेचेंगे। बाइडन ने यह भी कहा था कि वॉशिंगटन पोस्ट के स्तंभकार जमाल ख़ाशोज्जी की हत्या के मामले में सऊदी अरब को क़ीमत चुकानी होगी।
- बराक ओबामा राष्ट्रपति रहते चार बार सऊदी अरब गए थे।ओबामा पहली बार रियाद 2009 में गए थे। तब उन्हें राष्ट्रपति बने पाँच महीने से भी कम हुए थे। 2016 में जब ओबामा का कार्यकाल ख़त्म हुआ तब फिर ओबामा सऊदी अरब गए थे।तब किंग अब्दुल्लाह के निधन के बाद किंग सलमान ने कमान संभाली थी, लेकिन ओबामा की अगवानी किंग सलमान ने नहीं की थी। उनकी अगवानी में रियाद के गवर्नर खड़े थे। ओबामा के इस दौरे को वहाँ के सरकारी टीवी पर भी नहीं दिखाया गया था।
- चार-चार साल के दो कार्यकाल तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी अपने आख़िरी सालों में 2008 में सऊदी अरब का दौरा किया था। उन्होंने तेल की बढ़ती क़ीमत और 2008 की आर्थिक मंदी के बाद सऊदी अरब का दौरा किया था। बुश के स्वागत में किंग अब्दुल्लाह एयरपोर्ट पर खड़े थे।
- जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बाइडन के दौरे को एक स्थिति में देखा जा रहा है। बुश भी तब चाहते थे कि सऊदी अरब तेल का उत्पादन बढ़ाए ताकि क़ीमतें कम हों और बाइडन भी सऊदी अरब से उत्पादन बढ़ाने के लिए कह रहे हैं।

निष्कर्ष

- अमेरिकी राष्ट्रपति के सऊदी अरब पहुंचने का सबसे बड़ा कारण है, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण। यूरोप में छिड़ा यह युद्ध पूरे विश्व के लिए आर्थिक चुनौती बन रहा है। प्रतिबंधों के चलते रूस से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई बाधित हुई है और इसका असर अमेरिका समेत पूरे विश्व में देखा जा रहा है। यूरोप, अमेरिका और एशिया के ज्यादातर देशों में बीते छह महीने में तेल और गैस के दाम बहुत ज्यादा बढे हैं।
- वहीं अब सऊदी अरब जैसे देश अब नए संभावित साझेदार खोज रहे हैं, उदाहरण के लिए चीन बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने में सऊदी अरब की सहायता कर रहा है। परमाणु रिएक्टर लगाने में रूस से मदद मिल रही है।सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका सऊदी अरब का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार है। सऊदी अरब अमेरिकी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार भी है।

मुकुंद माधव

चीता बहाली पर भारत-नामीबिया समझौता ज्ञापन

भारत में चीता परियोजना की दोबारा शुरुआत की गयी है , ताकि वैश्विक संरक्षण प्रयासों में ऐतिहासिक विकासपरक संतुलन में भारतीय योगदान को बहाल किया जा सके, भारत और नामीबिया गणराज्य ने 20 जुलाई, 2022 वन्यजीव संरक्षण एवं सतत जैव-विविधता उपयोग संबंधी एक समझौता-ज्ञापन किया है, ताकि भारत में चीते को ऐतिहासिक श्रेणी में लाया जा सके। समझौता-ज्ञापन में दोनों देशों के बीच वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव-विविधता के उपयोग पर जोर दिया गया है ।

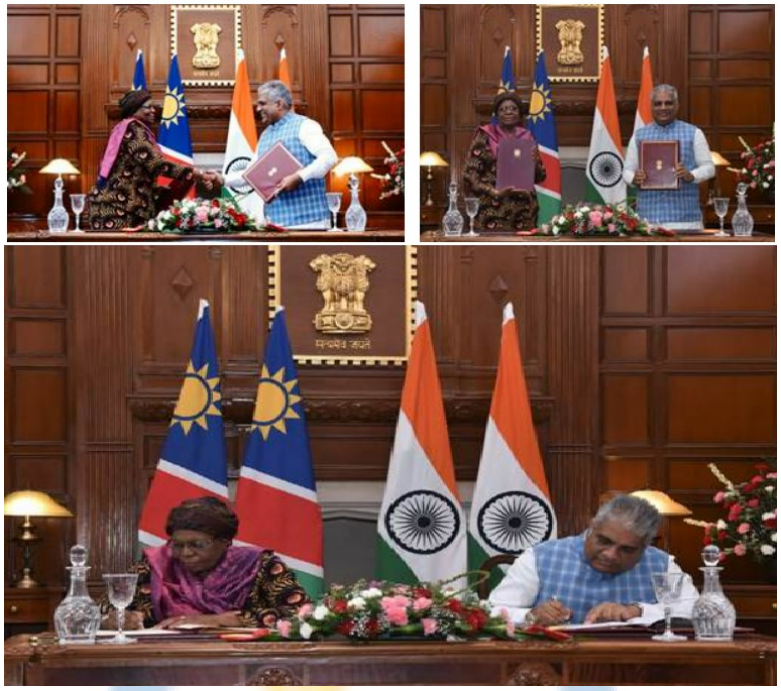

इस समझौता-ज्ञापन के तहत वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव-विविधता उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये पारस्परिक लाभप्रद सम्बन्धों के विकास को दिशा दी जा सकेगी। यह पारस्परिक सम्मान, संप्रभुता, समानता और भारत तथा नामीबिया के सर्वोच्च हितों के सिद्धांतों पर आधारित है।

मुख्य विशेषतायें:

- इस समझौता-ज्ञापन के तहत जैव-विविधता संरक्षण, जिसमें चीते के संरक्षण पर जोर दिया गया है। साथ ही चीतों को जहां से वे विलुप्त हो गये हैं, उनको फिर से उनके पुराने इलाके में स्थापित करना है।
- दोनों देशों में चीते के संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लक्ष्य के तहत विशेषज्ञता और क्षमताओं को साझा करना तथा उनका आदान-प्रदान करना।
- अच्छे तौर-तरीकों को साझा करके वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग।
- प्रौद्योगिकियों को अपनाने, वन्यजीव इलाकों में रहने वाले स्थानीय समुदायों के लिये आजीविका सृजन तथा जैव-विविधता के सतत प्रबंधन के मद्देनजर कारगर उपायों को साझा करने के माध्यम से वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव-विविधता उपयोग को प्रोत्साहन।
- जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण सम्बन्धी शासन-विधि, पर्यावरण सम्बन्धी दुष्प्रभाव का मूल्यांकन, प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन व आपसी हितों के अन्य क्षेत्रों में सहयोग।

- जहां भी प्रासंगिक हो, वहां तकनीकी विशेषज्ञता सहित वन्यजीव प्रबंधन में कर्मियों के लिये प्रशिक्षण और शिक्षा के लिये आदान-प्रदान।
- राष्ट्रीय संरक्षण और लोकाचार को मद्देनजर रखते हुए चीते का बहुत विशेष महत्व है। भारत में चीते की वापसी महत्वपूर्ण संरक्षण नतीजों में बराबर का महत्व रखती है।

उद्देश्य:-

- चीते की बहाली चीतों के मूल प्राकृतिक वास की बहाली में प्रतिमान का काम करेगी। यह उनकी जैव-विविधता के लिये महत्वपूर्ण है और इस तरह जैव-विविधता के क्षरण व उसमें तेजी से होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी।
- अन्य बड़े मांसाहारी जंतुओं की तुलना में चीते के साथ मनुष्यों के हितों का टकराव बहुत कम है, क्योंकि चीता मनुष्यों के लिये खतरा नहीं है तथा वे आम तौर पर मवेशियों के बड़े रेवड़ों पर हमला नहीं करता।
- शिकारी पशुओं की सर्वोच्च प्रजाति में से चीते की वापसी से ऐतिहासिक विकासपरक संतुलन कायम होगा, जिसका इको-प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर भारी प्रभाव पड़ेगा। इस तरह वन्यजीवों के प्राकृतिक वासों (घास के मैदान, झाड़ियों वाले मैदान और खुली वन इको-प्रणालियां) की बहाली और उनका बेहतर प्रबंधन संभव होगा।
- भारत में चीता परियोजना को दोबारा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारत में चीते की सामूहिक संख्या को कायम करना है। इससे चीता सर्वोच्च शिकारी जंतु के रूप में अपनी भूमिका निभायेगा और अपने ऐतिहासिक इलाके के भीतर उसके लिये जगह का विस्तार होगा। इस तरह वैश्विक संरक्षण प्रयासों में बड़ा योगदान होगा।
- वर्ष 2010-12 के बीच किये गए दस स्थलों के लिये सर्वेक्षण के तहत भारत में चीते की संख्या को सक्षम स्थानों में कायम करना है, IUCN दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए यह तय करना कि जनसांख्यिकी, जेनेटिक्स, सामाजिक-आर्थिक टकराव और आजीविका के मद्देनजर प्रजातियों को ध्यान में रखा जाये।
- ऊपर दिए गए कथनों के आधार पर मध्यप्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान चीते के लिये सर्वाधिक उपयुक्त है। वहां प्रबंधन सम्बन्धी हस्तक्षेप न्यूनतम है, क्योंकि एशियाई शेरों को दोबारा कायम करने के लिये इस संरक्षित क्षेत्र में बहुत निवेश किया गया है।
- कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते को स्थापित करने की कार्य-योजना आईयूसीएन के दिशा-निर्देशों के आधार पर विकसित की गई है। इसके तहत उस स्थान में शिकार की उपलब्धता का ध्यान रखा गया है। साथ ही अन्य मानकों के साथ यह भी ध्यान रखा गया है कि चीते के प्राकृतिक वास के लिये कूनो राष्ट्रीय उद्यान की क्षमता कितनी है।

- कूनो राष्ट्रीय उद्यान की वर्तमान क्षमता अधिकतम 21 चीतों की है। एक बड़ा इलाका बहाल हो जाने के बाद वहां 36 चीतों को रखा जा सकता है। शिकार किये जाने वाले जंतुओं की उपलब्धता बढ़ाकर कूनो वन्यजीव प्रखंड (1280 वर्ग किलोमीटर) का शेष हिस्सा भी इसमें शामिल किया जा सकता है।
- चीते की मौजूदगी दक्षिणी अफ्रीका (दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे) में है, जहां वे प्रासंगिक पारिस्थितिकीय-जलवायु विविधता में रहते हैं। इसके मॉडल पर भारत में चीते के लिये स्थान बनाया जा रहा है। इसके तहत चीते के लिये ऐसा माहौल तैयार किया जायेगा, जो उसके अधिक से अधिक अनुकूल हो। विश्लेषण से पता चलता है कि दक्षिणी अफ्रीका के जिस वातावरण में चीते रहते हैं, उसे देखते हुये भारत का कूनो राष्ट्रीय उद्यान उनके प्राकृतिक वास के लिये सर्वाधिक अनुकूल है।
- भारत में चीते को दोबारा स्थापित करने सम्बन्धी वित्तीय और प्रशासनिक समर्थन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, NTCA के जरिये करेगा। सरकार और कॉर्पोरेट एजेंसियों की भागीदारी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के माध्यम से होगी।
- राज्य और केंद्रीय स्तर पर अतिरिक्त वित्तपोषण के लिये इन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा। भारत वन्यजीव संस्थान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांसाहारी जंतु/चीता विशेषज्ञ/एजेंसियां कार्यक्रम के लिये तकनीकी जानकारी प्रदान करेंगी।

भविष्य की राह :-

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, NTCA, WII, राज्य वन विभागों के अधिकारियों को भारत में चीते को दोबारा स्थापित करने के प्रति जागरूक किया जायेगा। यह कार्य अफ्रीका के चीता संरक्षण क्षेत्रों में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के जरिये किया जायेगा। इसके अलावा अफ्रीका के चीता प्रबंधन-कर्ताओं और जीव-विज्ञानियों को अपने भारतीय समकक्षों को प्रशिक्षित करने के लिये आमंत्रित किया जायेगा।
- कूनो राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन आवश्वक सुरक्षा और प्रबंधन की निगरानी करने के लिये जिम्मेदार होगा, जिस समय चीता शोध दल वहां शोध की देख-रेख कर रहा होगा। स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न संपर्क और जागरूकता कार्यक्रम चलाये जायेंगे। सरपंच, स्थानीय नेता, अध्यापक, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक हस्तियां और गैर-सरकारी संगठन संरक्षण में हितधारक बनाये जायेंगे।
- स्कूलों, कॉलेजों और गांवों में लोगों को संरक्षण तथा वन विभाग में उपलब्ध विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिये जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया

जायेगा। स्थानीय समुदायों के लिये जन जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं, जिनका स्थानीय शुभंकर "चिंटू चीता" है।

- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी राज्य अधिकारियों और कूनो राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आये विधायकों से आग्रह किया है कि वे चीता-मनुष्य पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में जानकारी का प्रसार करें।
- वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप भारत में चीते को दोबारा स्थापित करने का कार्य पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन नेशनल टाइगर कंज़र्वेशन अथॉरिटी (NTCA) कर रही है तथा उसका मार्गदर्शन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित विशेषज्ञ समिति कर रही है।

रवि सिंह

YOJNA IAS